संख्या-09/2019/ 31 एम0एस0/33-2-2019-25जी/13टी0सी0

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2019

विषय :दीपावली के अवसर पर स्थानीय बाजारों में हाथ से बने मिट्टी के दीयों की बिक्री में किसी भी प्रकार का कोई बाजार शुल्क/तहबाजारी शुल्क वसूल न किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-463/33-2-2013-25जी/2013, दिनांक 12-03-2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों एवं बहुसंख्यक लाभार्थी यथा छोटे किसानों, दुकानदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत, ग्राम पंचायत एवं निजी भूमि पर लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजारों में तहबाजारी की वसूली को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में दीपावली के अवसर पर स्थानीय बाजारों में मिट्टी के दीयों की बिक्री की जाती है। शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि हाथ से बने मिट्टी के दीयों की स्थानीय बाजारों में बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई बाजार शुल्क अथवा तहबाजारी शुल्क वसूल न किया जाय ।

कृपया शासन द्वारा लिए गये उक्त निर्णय एवं पूर्व में दिये गये आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या: 09/2019/31 एम0एस0 (1)/33-2-2019, तद्दिनांक :-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3- निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

4- निदेशक, पंचायती राज (लेखा), उ0प्र0 लखनऊ ।

5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0 ।

6- उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ

7- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0 ।

8- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अवधेश कुमार खरे
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।